

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-II/2018/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्रीमति सुचित्रा सक्सेना, कनिष्ठ सहायक	चिकि. अधिकारी प्रभारी, लेप्रोसी कन्ट्रोल यूनिट, रामपुरा, कोटा।	07.07.1958	31.07.2018
2.	श्री सुल्तान राम मेघवाल, सहा. प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य चिकि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।	02.08.1958	31.08.2018
3.	श्री महेन्द्र कुमार जैन, कनिष्ठ सहायक	चि.अ.प्र. सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर, बांसवाडा	07.01.1959	31.01.2019
4.	श्री सुभाष चन्द कौशिक, सहा. प्रशा. अधिकारी	मुख्य चिकि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।	19.02.1959	28.02.2019
5.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक	खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, बयाना, भरतपुर।	15.03.1959	31.03.2019

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 08/06/18

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-II/2018/1462

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा/कोटा/श्रीगंगानगर/अलवर/भरतपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, लेप्रोसी कन्ट्रोल यूनिट, कोटा।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर, बांसवाडा।
5. खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, बयाना, भरतपुर।
6. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
7. संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ।
8. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर